न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/3434/2004/कोटा

1– सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये अधिशासी अभियन्ता खण्ड इटावा, मुख्यालय कोटा ।

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा, जिला कोटा ।

–अपीलांटस

बनाम

1– मदनमोहन पुत्र ब्रदीलाल, जाति महाजन, निवासी खातोली, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा ।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः–

श्रीमती पूनम माथुर, अधिवक्ता अपीलांटस सं0 1
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति0 राजकीय अधिवक्ता अपीलांट सं0 2
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांकः– 30.01.2025

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 133/1987 बउनवानी मदनमोहन बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, कोटा के न्यायालय में एक वाद घोषणा खातेदारी अधिकार बाबत् प्रस्तुत किया तथ वादपत्र में यह अभिवचन अंकित किया कि ग्राम इटावा के पूर्व खसरा संख्या 701 मिन रकबा 8 बिस्वा दर्ज थी, जिसका भू–प्रबंध के दौरान नया नंबर 2500 बना है । राजस्व अभिलेख में नये नंबर को सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में अंकित कर दिया गया है जबकि विवादित भूमि कभी भी अवाप्त नहीं की गई । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी खसरा

नंबर 2500 का खातेदार घोषित किया जावे । विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद कथनों से इंकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया गया । विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर वाद में कुल 6 तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 21.11.2000 को वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित की । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट संख्या 1 सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2001 के द्वारा खारिज की । अपीलीय न्यायालय एवं उपखड अधिकारी, कोटा के उपरोक्त आक्षेपित निर्णयों व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है ।

3— हमनें उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्तागणों ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2001 एवं उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.11.2000 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उपखण्ड अधिकारी ने तनकी संख्या 1 का निस्तारण करते हुए अवैधानिक तरीके से भू—प्रबंध की त्रुटि से भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में दर्ज होना माना है जबकि सड़क निर्माण वर्ष 1976 में किये जाने से पूर्व भूमि अवाप्ति की कार्यवाही विधिवत् रूप से की गई थी तथा खसरा नंबर 70 1 पुराना राजकीय भूमि होने से इसी अनुरूप अवाप्त कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम विधिवत् रूप से अंकित की गई थी । इस प्रकार तनकी संख्या 1 दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं थी इसके बावजूद वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि जनहित में भूमि अवाप्त कर सड़क निर्माण करवाया गया है तथा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अंकित है । राज0काश्त0अधि0 की धारा 16 के प्रकाश में विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का वादीगण किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं था । बहस में आगे कथन किया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रदत्त धारा 91 राज0भू—राजस्व अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग कर वादी को विवादित भूमि से बेदखल किये जाने का

आदेश भी पूर्व में पारित किया गया था तथा उक्त आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी उक्त रिट याचिका निरस्त की गई थी । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किये है जो काबिल निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना सरसरी तौर पर अपील का निस्तारण किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2001 एवं उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.11.2000 को निरस्त किया जावे ।

5— विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को अधिकृत कर राजकीय अभिभाषक से संपर्क करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु प्रकरण में राज्य सरकार भी पक्षकार होने से तथा जवाब परीक्षण न्यायालय में विरोधाभासी होने से राजकीय अभिभाषक कार्यालय द्वारा पत्र लिखकर इस बाबत् निर्देश चाहे गये । जिस पर जिला कलेक्टर, कोटा द्वारा अपील प्रस्तुत करने के निर्देश दिये के उपरांत लोकसभा चुनाव में ड्यूटी होने से समयावधि में अपील पेश नहीं की जा सकी । अपील में हुआ विलंब वर्णित परिस्थितियों के मध्यनजर उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6— विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी खसरा नंबर 701 मिन रकबा 8 आराजी वादी/रेस्पो0 की खातेदारी में दर्ज थी किन्तु वर्तमान में बंदोबस्त के दौरान बने नये खसरा नंबर 2500 रकबा 0.08 है90 कायम कर प्रतिवादी सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कर दी गई । बंदोबस्त विभाग को पूर्व इंद्राज बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के परिवर्तित करने का अधिकार नहीं था । विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम कर प्रत्यक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित कर वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री होने से

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी यथावत् रखा है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती हैं।

8— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88—89 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम इटावा, तहसील पीपल्दा की खसरा नंबर 701 मिन रकबा 8 बिस्वा आराजी वादी की खातेदारी की थी जिसे वर्तमान बंदोबस्त के दौरान भू—प्रबंध विभाग ने नये खसरा नंबर 2500 रकबा 0.08 है0 कायम करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कर दिया है । विचारण न्यायालय ने वाद में जवाबदावा प्राप्त होने के उपरांत अनुतोष सहित 6 तनकीयात कायम कर वादी का वाद दिनांक 21.11.2000 को डिक्री किया है जिसके विरूद्ध प्रतिवादी/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.07.2001 के द्वारा अपील खारिज की है ।

9— हस्तगत प्रकरण में एक तरफ तो वादी/रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी वादी की खातेदारी है जिसे भू—प्रबंध विभाग ने दौराने बंदोबस्त प्रतिवादी/सार्वजनिक निर्माण के नाम दर्ज कर दी है । इसके विपरीत प्रतिवादी/अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाते समय खसरा नंबर 701 राजकीय भूमि थी इसलिये उक्त भूमि के अवाप्ति की आवश्यकता नहीं थी । इटावा—खातौली सड़क का निर्माण कार्य के समय सड़क के मध्य से दोनों ओर 50 फीट तक की भूमि जिन खातेदारों की थी, उन्हें निमयानुसार नोटिस देकर भूमि अवाप्त की गई थी । अवाप्ति के दौरान वादी मोहनलाल के नाम अभिलेख में यह भूमि अंकित नहीं थी । अपीलांट ने अपीलमीमों में यह भी अंकित किया है कि सन् 1986 में वादी द्वारा सड़क सीमा में निर्माण कार्य प्रारंभ करने पर धारा 91 राज0भू—राजस्व

अधिनियम की कार्यवाही उसके विरूद्ध की गई थी तथा वादी का निर्माण कार्य रूकवाया जाकर कब्जा हटाया गया था । उक्त निर्णय को वादी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी उक्त रिट याचिका निरस्त की गई है । जब विचारण न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आ चुके थे, तो विचारण न्यायालय को इस बाबत् तनकी कायम कर उभयपक्ष से इस बाबत् साक्ष्य इत्यादि प्राप्त कर वाद को निर्णित करना चाहिये था किन्तु विचारण न्यायालय ने केवल मात्र तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर वाद को डिक्री किया है, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सरसरी तौर पर निर्णित करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत् रखा है, जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। चूंकि प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर इटावा–खातौली सड़क का निर्माण होकर विवादित भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम है । ऐसी स्थिति में क्या विवादित भूमि धारा 16 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में होने से ऐसी भूमियों की खातेदारी प्रदान की जा सकती है । इसके अतिरिक्त क्या विवादित भूमि पर बरवक्त सड़क निर्माण वर्ष 1976 में भूमि वादी की खातेदारी में थी अथवा नहीं । इन समस्त तथ्यों के क्रम में हम प्रकरण का विचारण न्यायालय से पुनः परीक्षण करवाया जाना उचित समझते है ।

9– परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2001 तथा उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.11.2000 निरस्त किये जाते है । प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कोटा को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निर्णय में दिये गये निर्देशों के क्रम में वाद में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य